

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दस्तावेज की तामील में  
जारी हुए।

# न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 40 / 2022

तारीख दायर :-28.06.2022

दिनांक निर्णय :-15.07.2022

GCMS NO. 2022/37

सरकार जरिये पटवारी हल्का धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर  
बनाम

GCMS:-2022/37

1. रतनलाल पुत्र भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
2. शिवलाल भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
3. धोल्याराम भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
4. रामावतार भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
5. श्रीराम भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
6. छौटेलाल पुत्र रामकरण जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर
7. लीलाराम भौरैलाल जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धमरेड़ द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायल रतनलाल, शिवलाल, धोल्याराम, रामावतार, श्रीराम पुत्रान भौरैलाल, छौटेलाल, लीलाराम पुत्रान रामकरण जाति अहीर(यादव) निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम धमरेड़ के गैर मुमकिन जोहड़ आ0ख0न0 687 रकबा 0.27 हे0 के भाग 0.04 हे0 पर सम्वत 2079 में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल की ओर से लीलाराम व शिवलाल उपस्थित आया। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब में अतिक्रमण नहीं करने, यदि हो तो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने का कथन किया है जो संतोषजनक जवाब नहीं है। गैरसायल का गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा जोत लगाकर गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल कजोड़ पुत्र श्योदयाल जाति ब्राहमण निवासी धमरेड़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरुद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का धमरेड़ को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. म. व पत्र 2022-23

के पृष्ठ संख्या 05 पर लिखा है 50/-

राशि कायम किया गया।

(सिद्ध)

(गिराज प्रसाद मीना) नायब तहसीलदार  
नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)